National Research Journal of Business Economics
Volume No: 12, Issue No: 2, Year: 2025 (July-December)
PP: 369-376
ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

बिहार में दलित परिवारों में बाल श्रम पर जाति और लिंग के संयुक्त प्रभाव के संदर्भ में दोहरे वंचन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

संजय कुमार झा
पूर्व शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

सारांश

बिहार में बाल श्रम को केवल आय-अभाव या अभिभावक-निर्णय का सीधा परिणाम मानना समस्या की सामाजिक संरचना को अधूरा समझना है। यह शोध-पत्र तर्क देता है कि दलित परिवारों में बाल श्रम एक "दोहरे वंचन" की प्रक्रिया बनकर उभरता है, जहाँ जाति और लिंग के संयुक्त प्रभाव बच्चों के जीवन-अवसरों को व्यवस्थित रूप से सीमित करते हैं। संसाधन-घाटा, सामाजिक बहिष्करण, सार्वजनिक सेवाओं तक असमान पहुँच, विद्यालयी अनुभवों में असुरक्षा या भेदभाव, तथा असंगठित श्रम-बाजार की पदानुक्रमित प्रकृति, ये सभी कारक एक साथ काम करके बच्चों को श्रम के विविध रूपों में बाँध देते हैं। इस संयुक्तता का एक प्रमुख परिणाम यह है कि दलित लड़कियों पर घरेलू और देखभाल-कार्य का समय-भार अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई, उपस्थिति और सीखने की निरंतरता धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर, दलित लड़के अपेक्षाकृत अधिक दृश्य मजदूरी या बाजार-आधारित छोटे कामों में दिखाई दे सकते हैं, जहाँ कम उम्र में कमाई को परिवार के संकट-प्रबंधन का साधन समझा जाता है। दोनों ही मार्ग बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह पेपर द्वितीयक स्रोतों के आधार पर बिहार के लिए अवधारणात्मक ढाँचा विकसित करता है, संकेतक-आधारित साक्ष्यों से समस्या की दिशा स्पष्ट करता है, और नीतिगत निहितार्थ प्रस्तुत करता है। निष्कर्षतः, जाति-लिंग की संयुक्तता को केंद्र में लाए बिना बाल श्रम उन्मूलन की रणनीतियाँ सतही रह जाती हैं और उनका प्रभाव सीमित होता है।

कुंजी शब्दः दोहरे वंचन, जाति-लिंग संयुक्त प्रभाव, दलित, बाल श्रम, समय-गरीबी, घरेलू श्रम, विद्यालयी भेदभाव, बिहार, सामाजिक बहिष्करण

1. परिचय

बाल श्रम की चर्चा प्रायः उन कामों तक सीमित रहती है जो सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, जैसे छोटे प्रतिष्ठान, निर्माण-स्थल, ढाबे या खेत-खलिहान। पर बच्चों का श्रम-अनुभव अक्सर घर के भीतर के अदृश्य कामकाज और देखभाल-कार्य तक फैला होता है, जिसे "घर का काम" कहकर श्रम-श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं में बाल श्रम का निर्धारण आयु-मानक, काम की प्रकृति, और शिक्षा/स्वास्थ्य

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

पर प्रभाव के आधार पर किया जाता है; घरेलू कामकाज भी तब बाल श्रम-जोखिम बनता है जब यह अत्यधिक घंटों, हानिकारक परिस्थितियों या दासता-सदृश स्थितियों में हो। [1], [2]

बिहार में यह प्रश्न इसलिए अधिक संवेदनशील हो जाता है क्योंकि असंगठित रोजगार, मौसमी आय-अनिश्चितता, और सामाजिक सुरक्षा तक असमान पहुँच बच्चों को काम की ओर धकेलने वाले दबाव बढ़ाते हैं। राज्य-स्तरीय दस्तावेज़ (जनगणना 2011 आधारित) बिहार के जिलों में 5–14 आयु-वर्ग के "बाल श्रमिकों" की उल्लेखनीय संख्या दर्ज करता है। [3]

इस अध्ययन का केंद्रीय प्रश्न "दोहरे वंचन" से जुड़ा है: दलित परिवारों में बाल श्रम पर जाति और लिंग मिलकर कैसे प्रभाव डालते हैं? यहाँ "जाति" का अर्थ केवल आर्थिक गरीबी नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्करण, संस्थागत दूरी और श्रम-बाजार की पदानुक्रमित संरचना है; और "लिंग" का अर्थ केवल जैविक भेद नहीं, बल्कि समय-उपयोग, घरेलू दायित्व, सुरक्षा-चिंता, और शिक्षा-निर्णयों में असमान अपेक्षाएँ हैं। इस संयुक्तता के बिना बाल श्रम के वास्तविक मार्ग (घर-आधारित काम, देखभाल-कार्य, विद्यालयी बहिष्कार, तथा असंगठित श्रम) समझ में नहीं आते।

2. अवधारणात्मक ढाँचा

इस अध्ययन में "दोहरे वंचन" को तीन परतों में समझा गया है।

पहली परत संरचनात्मक परत है: दलित परिवारों की आजीविका अक्सर अनौपचारिक/कम-मजदूरी वाले कामों पर निर्भर होती है। यदि शिक्षा के "प्रतिफल" (रोजगार/आय) भी जाति-आधारित बाधाओं के कारण कमजोर हों, तो शिक्षा में निवेश का लाभ कम दिखता है और बच्चों से काम लेने का दबाव बढ़ सकता है। जाति-आधारित असमान प्रतिफल (शिक्षा के बावजूद अपेक्षाकृत कम आर्थिक लाभ) पर शोध यह संकेत देता है कि भेदभाव के कारण समान शिक्षा-स्तर पर भी संसाधन-संचय असमान हो सकता है। [4]

दूसरी परत समय-गरीबी और घरेलू श्रम-विभाजन की है। समय-उपयोग सर्वेक्षण दिखाता है कि अवैतनिक घरेलू कार्य में महिलाओं का समय पुरुषों से कहीं अधिक होता है, जो लिंग-आधारित समय-वंचन का व्यापक संकेत है। [5] इसी आधार पर बच्चों में भी लिंग-अंतर का पैटर्न उभरता है: लड़कियों पर घरेलू/देखभाल-कार्य का बोझ अधिक पड़ना, और इस बोझ का शिक्षा/सीखने पर नकारात्मक प्रभाव। भारत में बच्चों के अवैतनिक घरेलू और देखभाल-कार्य पर केन्द्रित अध्ययन बताता है कि इन गतिविधियों में भागीदारी और समय-खपत लिंग, आयु और ग्रामीण-शहरी स्थिति के अनुसार बदलती है। [6]

तीसरी परत संस्थागत अनुभव की है, विशेषकर विद्यालय। यदि अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को विद्यालय/संस्थानों में भेदभाव या संसाधन-उपयोग में बाधा का सामना

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

करना पड़े, तो स्कूल छोड़ने का जोखिम बढ़ता है और काम की ओर लौटना आसान हो जाता है। बिहार के संदर्भ में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के संस्थागत भेदभाव पर अध्ययन इसी प्रकार के पैटर्न की ओर संकेत करता है। [7]

इन तीनों परतों का संयुक्त परिणाम यह है कि दलित लड़कियों और दलित लड़कों के लिए "बाल श्रम" के मार्ग अलग-अलग रूपों में प्रकट हो सकते हैं, पर दोनों में अधिकार-ह्रास और शिक्षा-बाधा का केंद्र समान रहता है।

3. अध्ययन-पद्धति और स्रोत

यह शोध-पत्र प्राथमिक क्षेत्र-सर्वे पर आधारित नहीं है; यह द्वितीयक साक्ष्य-आधारित समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। उपयोग किए गए स्रोत चार श्रेणियों में हैं:

(क) कानूनी-नीतिगत दस्तावेज़: बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम (1986) तथा संशोधन (2016) [8], [9]

(ख) राज्य-स्तरीय संकेतक: बिहार राज्य बाल-अधिकार कार्ययोजना की जिला-वार बाल-श्रम सारणी [3]

(ग) समय-उपयोग और घरेलू/देखभाल श्रम: समय-उपयोग सर्वेक्षण (2019) [5] तथा बच्चों के अवैतनिक घरेलू/देखभाल-कार्य पर अध्ययन [6]

(घ) शिक्षा-और-बाल श्रम संबंध तथा भेदभाव: भारत-स्तरीय और बिहार-केंद्रित अध्ययन [10], [11], [7]

4. संकेतक-आधारित साक्ष्य: बिहार, समय-गरीबी और बाल श्रम का सामाजिक भूगोल

सारणी 1: बिहार में 5–14 आयु-वर्ग के बाल श्रमिक, कुछ प्रमुख जिले (जनगणना 2011 आधारित)

जिला/इकाई	5–14 आयु-वर्ग के बाल श्रमिक (संख्या)	राज्य कुल में हिस्सा (प्रतिशत)
बिहार	1288321	10.99
मधुबनी	61523	4.78
दरभंगा	36256	2.81
गया	93653	7.27
पटना	77926	6.05

(स्रोत: बिहार राज्य बाल-अधिकार कार्ययोजना) [3]

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

यह सारणी दो बातें बताती है। पहली, बाल श्रम का पैमाना जिला-स्तर पर उल्लेखनीय है। दूसरी, घरेलू/देखभाल-कार्य जैसे अदृश्य श्रम की रिपोर्टिंग कम होने की संभावना के कारण वास्तविक श्रम-भार इससे अधिक भी हो सकता है, विशेषकर लड़कियों में।

सारणी 2: अवैतनिक घरेलू कार्य में समय-अंतर (समय-उपयोग सर्वेक्षण 2019 का संकेत)

संकेत	महिलाएँ (मिनट/दिन)	पुरुष (मिनट/दिन)
अवैतनिक घरेलू कार्य का औसत समय	299	97

(स्रोत: समय-उपयोग सर्वेक्षण रिपोर्ट; सार्वजनिक सार-उल्लेख) [5]

यह तालिका यह स्थापित करती है कि घरेलू श्रम में समय-वंचन लिंग-आधारित है। बच्चों में यही पैटर्न "कम उम्र में" रूपांतरित होकर दिख सकता है, जिससे दलित लड़कियों का समय-दबाव बढ़ना अधिक संभाव्य है, खासकर तब जब परिवार में संसाधन-घाटा और वयस्कों का अस्थिर रोजगार मौजूद हो।

5. जाति-लिंग संयुक्त प्रभाव: बाल श्रम के अलग-अलग मार्ग

दलित लड़कियों के लिए बाल श्रम अक्सर घर-आधारित, अवैतनिक और अदृश्य रूप में प्रकट होता है, पानी-ईंधन लाना, खाना-पकाने/सफाई में सहायता, छोटे भाई-बहनों की देखभाल, और घरेलू उत्पादन में मदद। बच्चों के अवैतनिक घरेलू/देखभाल-कार्य पर शोध दिखाता है कि समय-खपत लिंग और ग्रामीणता से प्रभावित होती है और यह सीखने की गतिविधियों से जुड़ सकती है। [6]

इस अदृश्य श्रम का सामाजिक तर्क यह होता है कि परिवार लड़कियों को "घर-केंद्रित" जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है, जबकि शिक्षा को अनिश्चित लाभ वाला निवेश समझ सकता है, विशेषकर तब जब शिक्षा के प्रतिफल भी जाति-आधारित बाधाओं से कमजोर हों। [4]

दलित लड़कों में बाल श्रम अपेक्षाकृत अधिक दृश्य हो सकता है, छोटे प्रतिष्ठान, कृषि-सहायक काम, निर्माण/सेवा-क्षेत्र में अस्थायी मदद, या पारिवारिक उद्यम में श्रम। परिवार इसे "कमाई सीखना" या "जोखिम-समय सहारा" मान सकता है, खासकर जब घरेलू आय अनिश्चित हो।

भारत और बिहार-केंद्रित अध्ययन यह दिखाते हैं कि स्कूलिंग और बाल श्रम परस्पर-निर्भर हैं; स्कूल छोड़ना काम बढ़ा सकता है और काम स्कूलिंग को बाधित कर सकता है। [10], [11] इसलिए जाति-लिंग संयुक्त प्रभाव का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम "शिक्षा-निरंतरता का टूटना" है, जो बाद में पीढ़ीगत गरीबी/बहिष्करण को पुनरुत्पादित करता है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

6. संस्थागत कारक: विद्यालय, भेदभाव और कल्याण-पहुँच

दलित बच्चों के लिए विद्यालय केवल सीखने का स्थल नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर का सामाजिक क्षेत्र है। बिहार में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के संदर्भ में संस्थागत भेदभाव पर अध्ययन बताता है कि सुविधाओं/सेवाओं के उपयोग में असमानता और बाधाएँ मौजूद हो सकती हैं। [7] ऐसे अनुभव स्कूल-उपस्थिति को कमजोर कर सकते हैं और परिवार-स्तर पर "स्कूल का लाभ" घटा सकते हैं, जिससे श्रम-वापसी की संभावना बढ़ जाती है।

कानूनी-नीतिगत स्तर पर बच्चों के रोजगार पर निषेध और खतरनाक कार्यों पर रोक मौजूद है। [8], [9] पर असंगठित अर्थव्यवस्था और घर-आधारित श्रम में प्रवर्तन कठिन होता है; साथ ही घरेलू/देखभाल-कार्य की अदृश्यता पहचान को और कमजोर कर देती है।

7. नीति-निहितार्थ

इस अध्ययन से चार नीति-बिंदु उभरते हैं।

पहला, लिंग-संवेदी समय-आधारित पहचान: घरेलू/देखभाल-कार्य के समय-भार को विद्यालय/समुदाय-स्तर पर नियमित रूप से समझना आवश्यक है, क्योंकि यही अदृश्य श्रम लड़कियों की स्कूलिंग को भीतर-ही-भीतर तोड़ता है। [6]

दूसरा, विद्यालय में भेदभाव-रोधी व्यवहारिक तंत्र: सिर्फ नामांकन पर्याप्त नहीं; विद्यालय में संसाधन-उपयोग, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली जवाबदेही आवश्यक है, क्योंकि भेदभाव स्कूल-त्याग और श्रम-वापसी का सामाजिक मार्ग बनता है। [7]

तीसरा, जाति-लिंग संयुक्त लक्षित सहायता: दलित लड़कियों और दलित लड़कों के श्रम-मार्ग अलग हो सकते हैं; इसलिए सहायता पैकेज (सीखने-समर्थन, उपस्थिति-अनुवर्तन, परिवार-समर्थन, सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग) को इस विविधता के अनुसार डिज़ाइन करना होगा।

चौथा, श्रम-और-शिक्षा की संयुक्त रणनीति: भारत-स्तरीय साक्ष्य बताता है कि शिक्षा रणनीतियाँ बाल श्रम घटाने में निर्णायक हो सकती हैं। [12] इसलिए बाल श्रम को केवल श्रम-विभाग का विषय न मानकर शिक्षा-गुणवत्ता, सीखने के परिणाम और स्कूल-निरंतरता की समस्या के रूप में भी देखना चाहिए।

8. निष्कर्ष

बिहार में दलित परिवारों में बाल श्रम को समझने का समाजशास्त्रीय आधार "दोहरे वंचन" की अवधारणा में निहित है, क्योंकि यहाँ श्रम का प्रश्न केवल आय-अभाव या परिवार की व्यक्तिगत पसंद का नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना, संस्थागत अनुभव और रोज़मर्रा के श्रम-वितरण का संयुक्त परिणाम है। जाति-आधारित बहिष्करण सबसे पहले अवसरों के निर्माण में असमानता पैदा करता है। यह असमानता कई स्तरों पर काम

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

करती है, स्थानीय श्रम-बाजार में उपलब्ध कामों की प्रकृति, मजदूरी की अनिश्चितता, सामाजिक नेटवर्क तक सीमित पहुँच, और सार्वजनिक सेवाओं व संस्थानों से संवाद में दूरी। जब परिवार को यह अनुभव होता है कि शिक्षा का प्रतिफल अनिश्चित है या सामाजिक बाधाओं के कारण अपेक्षित रूप से नहीं मिलता, तब शिक्षा में निरंतर निवेश कम आकर्षक लग सकता है। यह स्थिति बच्चों को असंगठित श्रम-विकल्पों में बाँधे रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, क्योंकि परिवार "तत्काल सुरक्षा" को दीर्घकालिक लाभ की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानने लगता है। इसी प्रक्रिया में बाल श्रम "परिस्थिति का परिणाम" बनकर सामान्यीकृत हो जाता है।

इसी के साथ विद्यालय जैसे संस्थान का अनुभव निर्णायक भूमिका निभाता है। स्कूल यदि दलित बच्चे के लिए सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर का स्थान नहीं बन पाता, तो शिक्षा-निरंतरता कमजोर पड़ती है। यह कमजोरी केवल स्कूल छोड़ने की घटना में नहीं, बल्कि उससे पहले के छोटे-छोटे संकेतों में दिखाई देती है, अनियमित उपस्थिति, सीखने में पिछड़ना, परीक्षा-भय, और स्कूल से भावनात्मक दूरी। जब संस्थागत अनुभव असमान या हतोत्साहित करने वाला हो, तब परिवार और बच्चा दोनों ही शिक्षा को स्थायी जीवन-रणनीति के रूप में कम भरोसेमंद मानने लगते हैं, और श्रम की ओर लौटना आसान हो जाता है। इसलिए दलित बाल श्रम का अर्थ केवल "काम करना" नहीं, बल्कि "संस्थागत समावेशन की कमी" का भी संकेत है।

दोहरे वंचन की दूसरी धुरी लिंग-आधारित घरेलू श्रम-विभाजन है। लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे घर-के-भीतर के कार्य, सफाई, खाना बनाने में सहायता, पानी-ईंधन लाना, छोटे भाई-बहनों की देखभाल, को प्राथमिकता दें। यह अपेक्षा कई बार स्पष्ट आदेश की बजाय 'स्वाभाविक जिम्मेदारी' के सामाजिक विचार के रूप में काम करती है। परिणाम यह होता है कि लड़कियाँ समय-गरीबी की ओर धकेली जाती हैं, जहाँ स्कूल जाना संभव होते हुए भी पढ़ाई के लिए आवश्यक समय, ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता लगातार घटती जाती है। यह टूटन प्रायः अचानक नहीं होती; यह भीतर-ही-भीतर बनती है, धीरे-धीरे सीखने की क्षमता कमजोर पड़ती है, उपस्थिति घटती है और अंततः शिक्षा-निरंतरता टूटने का जोखिम बढ़ जाता है। दूसरी ओर लड़के अपेक्षाकृत अधिक दृश्य श्रम में दिख सकते हैं, छोटे काम, मजदूरी, या पारिवारिक उद्यम में बाहरी सहायता, जहाँ "कम उम्र में कमाई" को संकट-समय सहारा मान लिया जाता है। इस प्रकार, जाति और लिंग के संयुक्त प्रभाव से बाल श्रम के रूप अलग हो सकते हैं, पर अधिकार-ह्रास का परिणाम दोनों में समान रहता है।

समय-उपयोग संबंधी शोध और बच्चों के घरेलू/देखभाल-कार्य पर उपलब्ध अध्ययन इस दिशा में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं कि घरेलू श्रम का भार लिंग के साथ व्यवस्थित रूप से बदलता है और इसका असर शिक्षा पर पड़ सकता है। बिहार-केंद्रित और भारत-स्तरीय अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि स्कूलिंग-श्रम चक्र को तोड़ने के लिए किसी एक विभागीय कार्रवाई से काम नहीं चलता; शिक्षा-रणनीतियों, सामाजिक सुरक्षा और

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

संस्थागत समावेशन को एक साथ चलना पड़ता है। जब तक परिवार को संकट-समय भरोसेमंद सुरक्षा-जाल नहीं मिलता और स्कूल बच्चे को सम्मानजनक, सुरक्षित व सीखने-क्षम वातावरण नहीं देता, तब तक बाल श्रम की पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है।

अतः बाल श्रम उन्मूलन की प्रभावी नीति वही होगी जो जाति-लिंग की संयुक्तता को लक्ष्य बनाकर दृश्य और अदृश्य, दोनों श्रम-रूपों को पहचानने की क्षमता विकसित करे, तथा दलित बच्चों के लिए स्कूल को केवल नामांकन का स्थल नहीं, बल्कि सुरक्षा, गरिमा और सीखने का टिकाऊ मंच बनाए। साथ ही, परिवार के संकट-समय दबाव को सामाजिक सुरक्षा, आजीविका-समर्थन और समुदाय-आधारित सहायता के माध्यम से घटाना आवश्यक होगा, ताकि बच्चों का श्रम परिवार की "आपात रणनीति" न बना रहे और शिक्षा वास्तव में एक व्यवहार्य जीवन-विकल्प बन सके।

संदर्भ

1. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, "घरेलू कामकाज में बाल श्रम," आधिकारिक वेब-सामग्री।
2. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, "घरेलू कामकाज में बाल श्रम उन्मूलन," रिपोर्ट, 2013।
3. बिहार सरकार, "बिहार राज्य बाल-अधिकार कार्ययोजना," सरकारी दस्तावेज़, 2017, पृ. 109–136।
4. एस. असारी, "शिक्षा-उपलब्धि के आर्थिक प्रतिफल में जाति-आधारित कमी," शोध-लेख, 2024
5. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, "समय-उपयोग सर्वेक्षण 2019: रिपोर्ट," सरकारी रिपोर्ट, 2020, पृ. 191–213।
6. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इनोसेंटी, "भारत में बच्चों द्वारा अवैतनिक घरेलू और देखभाल-सेवाओं में समय-व्यय," चर्चा-पत्र, 2024, पृ. 12–32।
7. ए. पाण्डेय, "शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के साथ भेदभाव: बिहार पर अध्ययन," शोध-लेख, पृ. 92–108।
8. भारत सरकार, "बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986," आधिकारिक अधिनियम पाठ, 1986, पृ. 1–10।
9. भारत सरकार, "बाल श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016," आधिकारिक अधिनियम पाठ, 2016, पृ. 1–6।
10. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इनोसेंटी, "भारत में बाल श्रम और स्कूली शिक्षा," रिपोर्ट, 2024, पृ. 105–117।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

11. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इनोसेंटी, "बिहार में बाल श्रम और स्कूली शिक्षा में परिवर्तन के कारण," रिपोर्ट, 2025, पृ. 1–135।
12. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इनोसेंटी, "भारत में बाल श्रम घटाने हेतु शैक्षिक रणनीतियाँ: साहित्य समीक्षा," चर्चा-पत्र, 2024, पृ. 1–59।
13. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, "खतरनाक बाल श्रम: मार्गदर्शिका", 2011/2012, पृ. 1–66।
14. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, "खतरनाक बाल श्रम: पुस्तिका," 2011
15. भारत सरकार, "बाल श्रम संबंधी अधिनियम का आधिकारिक परिचय," आधिकारिक पृष्ठ।
16. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इनोसेंटी, "बिहार अध्ययन का शोध-संक्षेप," रिपोर्ट, 2025, पृ. 1–30।
17. भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो, "समय-उपयोग सर्वेक्षण 2024 पर आधिकारिक वक्तव्य," 2025
18. राष्ट्रीय डेटा अभिलेखागार, "समय-उपयोग सर्वेक्षण 2019 का सर्वे-विवरण," आधिकारिक कैटलॉग पृष्ठ, 2024
19. बिहार स्वास्थ्य डोज़ियर, "बिहार का सामाजिक-जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (अनुसूचित जाति हिस्सेदारी सहित)," रिपोर्ट, 2021, पृ. 11–24।
20. एस. सरकार, "जाति, लिंग और संयुक्त असमानताएँ: भारतीय श्रम-आकांक्षाओं पर अध्ययन," शोध-लेख, 2025, पृ. 9–20।

© Copyright @ Authors